

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 355 / 2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुमंजन हेरेंज
मेरी ग्रेस मर्सी एक्का

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख सहित

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

30.05.20


आदेश


आवेदक सुमंजन हेरेंज पिता स्व० सुचित हेरेंज ग्राम-मालगो टंगराटोली, थाना कर्का, जिला खूँटी ने मेरी ग्रेस मर्सी एक्का पति मतियस हेरेंज ग्राम-पतरामुचछिया, थाना कर्का, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
मालगो	117	19	767	0.48

अंचल अधिकारी, कर्का के पत्रांक 560 दिनांक 22.05.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है। अतः अंचल अधिकारी, कर्का के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।